भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1491**

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

**आतंकी डाटाबेस तक पहुंच**

**†1491. श्री आनंदराव अडसुल :**
**श्री धर्मेन्द्र यादव :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संदिग्ध आतंकी के डाटाबेस तक अमेरिकियों की अबाधित पहुंच का देश में आसूचना एजेंसियों द्वारा विरोध किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने यूएस द्वारा बनाए गए वैश्विक आतंकी डाटाबेस में शामिल न होने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारत और यूएस के बीच गत वर्ष में इस मामले पर कई वार्ताएं हुई हैं;
(घ) यदि हां, तो दोनों पक्षों ने कई मुख्य पहलुओं पर अपने मतभेद कम करने का निर्णय लिया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

**(क) से (ड़) : भारत सरकार और यू एस ए, दोनों देशों के बीच हुई अनेक दौर की विस्तृत बातचीत के पश्चात, आसूचना साझा करने और आंतंकावादी वाच-लिस्ट सूचना का विस्तार करने संबंधी समझौते के अन्तिम रूप देने पर सहमत हो गए हैं। समझौते के ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है ।**

---